न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुरारी बनाम कन्हैया मु.नं.– 25/25 किस्म – धारा 128 LRAct	

24.6.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 29.7.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

29.7.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पर प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या 25/2025	तारीख रजू 04.04.2025	तारीख निर्णय 29.07.2025

बउनवान

1. मुरारी पुत्र गिल्या, निवासी टहलडी, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैया पुत्र भजनी, निवासी टहलडी, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
2. बत्तू पुत्र गैंदा, निवासी टहलडी, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।
3. तहसीलदार मण्डावर।

..अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री मधुसूदन सैनी, श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा सं. 73 रकबा 0.08 हैक्टे., 74 रकबा 0.05 हैक्टे., 75 रकबा 0.45 हैक्टे., 76 रकबा 0.08 हैक्टे., कुल किता 4, कुल रकबा 0.66 हैक्टे. ग्राम टहलडी, तहसील मण्डावर, जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसमें प्रार्थी का कब्जा काश्त मौजूद है। प्रार्थी उक्त आराजी पर पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त है व उक्त आराजी को उपयोग उपभोग में ले रहा है। प्रार्थी के अलावा किसी अन्य पक्षकार की साझेदारी व भागीदारी नहीं है, राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी के नाम मौजूदा जमाबंदी में इन्द्राज है। प्रार्थी ने उक्त आराजी की मौके पर पत्थरगढी नहीं कर रखी है। प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाईश बावत तहसीलदार मण्डावर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार मण्डावर के आदेश कमांक भू.अ. 2024/1138–1144 दिनांक 20.09.2024 से उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करने के लिए आराजीयात पर तहसीलदार मण्डावर के द्वारा वर्णित टीम के पास पहुँचे प्रार्थी व ग्रामवासियों की उपस्थिति में मुस्तकिल बिन्दु से जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया व निशानात लगाये। मौके पर पर्चा रिपोर्ट बनायी गयी। प्रार्थी तहसीलदार मण्डावर व उनकी टीम की उक्त पैमाईश व सीमाज्ञान का निशानात पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी के पडोसी खातेदार 1 लगायत 2 एकराय होकर प्रार्थी के पास आ गये और प्रार्थी को पत्थरगढी नहीं करने दे रहे हैं। प्रार्थी ने कहा कि मैं तो हमारी खातेदारी की भूमि पर पैमाईश अनुसार ही पत्थरगढी कर रहा हूँ तो अप्रार्थी नाराज हो गये और प्रार्थी को पत्थरगढी नहीं करने दी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार मण्डावर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अप्रार्थी सं. 3 को आदेशित करें कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी की पैमाईश रिपोर्ट के अनुसार पुलिस इमदाद की मदद से पत्थरगढ़ी करें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया एवं अप्राथीगण को जर्ये नोटिस तामिल करवाई गई। अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार, ग्राम टहलडी तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 73, 74, 75, 76 रकबा 0.66 हैक्टे. भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदार है। उक्त आराजीयात का दिनांक 30.09.2024 को तहसीलदार मण्डावर द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है।

4. प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इससे किसी भी पक्षकार के राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम टहलडी, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजीयात खसरा सं. 73, 74, 75, 76 कुल किता 4, कुल रकबा 0.66 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अभिलेख निरीक्षक उकरूंद को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थी की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में विधिवत वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। अतः भू. अभिलेख निरीक्षक उकरूंद मौके पर उपस्थित प्रार्थी एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 29.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)